

कृषि भूमि का अवैध उपयोग और अवैध कॉलोनाइज़ेशन: SDO और नगरपालिका के अधिकार क्षेत्र का पारस्परिक संबंध

शीर्षक

"कृषि भूमि के अवैध डायवर्ज़न पर SDO की कार्यवाही और अवैध कॉलोनाइज़ेशन पर नगरपालिका की कार्यवाही — दो समानान्तर उपचार, एक-दूसरे के पूरक, विरोधी नहीं"

1. मुख्य विधिक प्रश्न (Core Legal Issue)

क्या अनुविभागीय अधिकारी (SDO) द्वारा मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (MPLRC) की धारा 172 के अन्तर्गत कृषि भूमि के अवैध उपयोग (बिना डायवर्ज़न के) पर कार्यवाही करना, म.प्र. नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 339-C के अन्तर्गत नगरपालिका अधिकारियों के क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण है?

2. दोनों प्रावधानों का स्वतंत्र परिचय

2.1 धारा 172 — म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (MPLRC)

यह एक मूल प्रावधान (Substantive Provision) है जो यह अनिवार्य करता है कि:

यदि कोई कृषि भूमि किसी गैर-कृषि उद्देश्य के लिये उपयोग की जानी है, तो पहले उसका विधिवत डायवर्ज़न (भूमि उपयोग परिवर्तन) कराना आवश्यक है। धारा 172(5) SDO को यह शक्ति प्रदान करती है कि वह बिना डायवर्ज़न के गैर-कृषि उपयोग करने वाले व्यक्ति पर अर्थदण्ड (Penalty) लगा सके। धारा 172(6) SDO को यह अधिकार देती है कि वह ऐसी भूमि को उसकी मूल स्थिति में पुनर्स्थापित (Restore to Original Condition) करने का आदेश दे सके, और यदि इसमें कोई व्यय होता है तो वह उस व्यक्ति से भू-राजस्व की बकाया की भाँति वसूल किया जा सके।

मुख्य उद्देश्य: भूमि उपयोग (Land Use) एवं भू-राजस्व (Land Revenue) से संबंधित।

2.2 धारा 339-C — म.प्र. नगरपालिका अधिनियम, 1961

यह प्रावधान अवैध कॉलोनाइज़ेशन (Illegal Colonization) के लिये दण्ड का प्रावधान करता है — बिना कॉलोनाइज़र के रूप में पंजीकरण कराए, बिना आवश्यक अनुमतियों (License/Sanction) के भूमि का उपविभाजन (Sub-division) करके प्लॉट बेचना। यह नगरीय विकास (Urban Development) से संबंधित है।

संबंधित अन्य धाराएँ: धारा 339-A कॉलोनाइज़र के पंजीकरण हेतु लाइसेंस की अनिवार्यता से सम्बंधित है। धारा 339-D अवैध कॉलोनी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रावधान करती है। धारा 339-E सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवैध कॉलोनी की भूमि का प्रबन्धन ग्रहण करने से संबंधित है और इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है: "Notwithstanding anything contained in Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959..." अर्थात् MPLRC के बावजूद अवैध कॉलोनी में प्लॉट का हस्तान्तरण शून्य (Void) होगा। धारा 339-F एवं 339-G अतिरिक्त उपचार प्रदान करती हैं।

मुख्य उद्देश्य: नगरीय क्षेत्रों में अवैध कॉलोनाइज़ेशन की रोकथाम।

3. उच्च न्यायालय की स्पष्ट विधिक स्थिति

3.1 मूल निर्णय — W.P. No. 7945/2016 (दिनांक 17.07.2017) एवं संबद्ध प्रकरण

माननीय उच्च न्यायालय, ग्वालियर पीठ ने स्पष्ट रूप से निम्नलिखित सिद्धान्त प्रतिपादित किये:

"दोनों प्रावधान पूरक (Complementary) हैं, विरोधी (Supplementary/Contradictory) नहीं।"

न्यायालय ने कहा कि धारा 172 MPLRC भूमि उपयोग एवं भू-राजस्व से संबंधित है, जबकि धारा 339-C अधिनियम 1961 नगरीय विकास एवं अवैध कॉलोनाइज़ेशन से संबंधित है। दोनों का क्षेत्र अलग-अलग है, किन्तु दोनों एक-दूसरे के अतिरिक्त (In Addition) उपलब्ध उपचार हैं।

3.2 SDO के क्षेत्राधिकार की सीमा — कब अतिक्रमण नहीं माना जाएगा?

न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि SDO ने केवल धारा 172 MPLRC के अन्तर्गत अर्थदण्ड लगाया है और भूमि को मूल स्थिति में लौटाने का आदेश दिया है, और यदि उसने धारा 339-C में वर्णित किसी भी दण्ड को स्वयं लागू नहीं किया है, तो यह नहीं कहा जा सकता कि SDO ने नगरपालिका अधिकारियों के क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण किया है।

भले ही SDO के आदेश में धारा 339-C के उल्लंघन का "उल्लेख" (Mention) हो, लेकिन जब तक उसने धारा 339-C के अन्तर्गत कोई दण्ड स्वयं आरोपित नहीं किया, तब तक वह अपने क्षेत्राधिकार में ही है।

3.3 कब SDO क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण करेगा?

यदि SDO स्वयं धारा 339-C के अन्तर्गत FIR दर्ज कराता है, तो वह अधिकारातीत होगा। **Vishawveer v. State of M.P. (MCRC No. 599/2013)** में न्यायालय ने SDO द्वारा दर्ज कराई गई FIR को इसी आधार पर निरस्त (Quash) किया।

धारा 339-C के अन्तर्गत अभियोजन (Prosecution) का अधिकार नगरपालिका परिषद (Municipal Council), मुख्य नगरपालिका अधिकारी (Chief Municipal Officer), या परिषद द्वारा अधिकृत किसी अन्य अधिकारी को धारा 313 के अन्तर्गत है, SDO को नहीं।

4. "सक्षम प्राधिकारी" (Competent Authority) की परिभाषा का विकास

4.1 मूल परिभाषा — नियम 2(h), म.प्र. नगरपालिका (कॉलोनाइज़र पंजीकरण) नियम, 1998

नगर निगम क्षेत्र में सक्षम प्राधिकारी नगर आयुक्त (Municipal Commissioner) है, जबकि नगरपालिका/नगर पंचायत क्षेत्र में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) — SDO है।

4.2 संशोधन — दिनांक 22.04.2013

इस संशोधन द्वारा SDO के अतिरिक्त कलेक्टर को भी नगरपालिका/नगर पंचायत क्षेत्र में "सक्षम प्राधिकारी" के रूप में शामिल किया गया। अतः 2013 के पश्चात् कलेक्टर भी अवैध कॉलोनाइज़ेशन के विरुद्ध कार्यवाही हेतु FIR दर्ज कराने का निर्देश दे सकता है।

W.P. No. 2080/2026 (दिनांक 09.03.2026) में न्यायालय ने **Laxmandass Krishnani v. Municipal Council, Guna [2018 (1) MPLJ 127]** के निर्णय का सन्दर्भ देते हुए इस स्थिति की पुष्टि की।

5. नियम 15-C (कॉलोनाइज़र पंजीकरण नियम, 1998) की व्याख्या

नियम 15-C के दो भाग हैं — **प्रथम भाग** अवैध कॉलोनी के निर्माण पर विधि के अनुसार दण्ड की कार्यवाही से संबंधित है जो स्वतंत्र है, और **द्वितीय भाग** वसूली की कार्यवाही से संबंधित है जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा की जानी है और यह भी स्वतंत्र है।

न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि यह अर्थ लगाया जाए कि शिकायत केवल SDO (सक्षम प्राधिकारी) द्वारा ही दायर की जा सकती है, तो यह धारा 339-C से सीधा टकराव (Head-on Clash) उत्पन्न करेगा, जो विधिक रूप से अनुज्ञेय नहीं है।

6. FIR दर्ज करने का अधिकार — कौन कर सकता है?

प्राधिकारी	FIR/शिकायत का अधिकार	आधार
SDO (स्वयं)	नहीं — धारा 339-C के अन्तर्गत FIR दर्ज कराने का अधिकार SDO को नहीं है	Vishawveer v. State of M.P.
कलेक्टर (संशोधन 2013 के पश्चात्)	हाँ — सक्षम प्राधिकारी के रूप में FIR हेतु निर्देश दे सकता है	W.P. 2080/2026; Dilmeet Singh Bal
नगरपालिका परिषद/CMO	हाँ — धारा 313 के अन्तर्गत	Laxmandass Krishnani
SDO (नगरपालिका को सूचना देकर)	अनुज्ञेय — यदि SDO ने नगरपालिका को तथ्य बताए और परिषद ने स्वतंत्र रूप से शिकायत दायर की	Laxmandass Krishnani

7. व्यावहारिक मार्गदर्शिका — SDO के लिये

7.1 SDO क्या कर सकता है (अपने क्षेत्राधिकार में):

SDO धारा 172(5) MPLRC के अन्तर्गत बिना डायवर्ज़न के गैर-कृषि उपयोग करने वाले व्यक्ति पर अर्थदण्ड लगा सकता है। धारा 172(6) MPLRC के अन्तर्गत भूमि को मूल कृषि स्थिति में पुनर्स्थापित करने का आदेश दे सकता है। यदि अवैध कॉलोनाइज़ेशन का तथ्य सामने आता है तो उसे कलेक्टर या नगरपालिका के संज्ञान में ला सकता है।

7.2 SDO क्या नहीं कर सकता (क्षेत्राधिकार से बाहर):

SDO धारा 339-C के अन्तर्गत स्वयं FIR दर्ज नहीं करा सकता। धारा 339-C के अन्तर्गत स्वयं दण्ड नहीं लगा सकता। नगरपालिका के अधिकार क्षेत्र में आने वाली अवैध कॉलोनाइज़ेशन सम्बन्धी कार्यवाही स्वयं नहीं कर सकता।

7.3 SDO के आदेश में 339-C का उल्लेख मात्र:

यदि SDO ने अपने आदेश में केवल "उल्लेख" किया कि धारा 339-C का भी उल्लंघन प्रतीत होता है, किन्तु उसने स्वयं कोई दण्ड धारा 339-C के अन्तर्गत नहीं लगाया, तो यह क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण नहीं माना जाएगा।

8. संक्षिप्त तथ्य एवं अन्तिम निर्णय — प्रमुख निर्णयों का सार

8.1 W.P. No. 7945/2016 एवं संबद्ध (17.07.2017)

तथ्य: याचिकाकर्ताओं की कृषि भूमि पर बिना डायवर्जन के गैर-कृषि उपयोग (प्लॉट काटना/बेचना) किया गया। SDO ने धारा 172 MPLRC के अन्तर्गत कार्यवाही की। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि SDO ने नगरपालिका के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण किया।

निर्णय: रिट याचिकाएँ निस्तारित। न्यायालय ने माना कि दोनों प्रावधान पूरक हैं। SDO ने अपने क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण नहीं किया। याचिकाकर्ताओं को 15 दिन में अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर करने की स्वतंत्रता दी गई।

8.2 W.P. No. 904/2017 (11.02.2026)

तथ्य: समान विषय। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने स्वीकार किया कि प्रश्न W.P. 7945/2016 के आदेश से आच्छादित है।

निर्णय: उपरोक्त 17.07.2017 के आदेश के अनुसार निस्तारित।

8.3 W.P. No. 3401/2017 (19.02.2026)

तथ्य: अवैध कॉलोनाइज़ेशन पर कार्यवाही को चुनौती। राज्य ने बताया कि 2013 के संशोधन के पश्चात् कलेक्टर भी सक्षम प्राधिकारी है।

निर्णय: याचिकाकर्ता को अपील का उपचार अपनाने की स्वतंत्रता के साथ याचिका वापस लेने की अनुमति दी गई।

8.4 W.P. No. 3982/2017 (30.01.2026)

तथ्य: समान विषय — कृषि भूमि का बिना डायवर्जन गैर-कृषि उपयोग।

निर्णय: 17.07.2017 के मूल आदेश के अनुपालन में निस्तारित।

8.5 W.P. No. 2080/2026 (09.03.2026)

तथ्य: कलेक्टर, भिण्ड ने मुख्य नगरपालिका अधिकारी को अवैध कॉलोनाइज़ेशन के आरोप में FIR दर्ज कराने का निर्देश दिया। याचिकाकर्ता ने कहा कि कलेक्टर को FIR का निर्देश देने का अधिकार नहीं है। यह भी तर्क दिया गया कि शिकायत केवल सक्षम प्राधिकारी ही दायर कर सकता है।

निर्णय: याचिका खारिज। न्यायालय ने माना कि (i) 2013 के संशोधन के पश्चात् कलेक्टर भी सक्षम प्राधिकारी है; (ii) कार्यवाही उच्च न्यायालय की खण्डपीठ के PIL आदेश (W.P. 7617/2010) के अनुपालन में की गई थी; (iii) Laxmandass Krishnani के निर्णय अनुसार शिकायत CMO/परिषद द्वारा धारा 313 के अन्तर्गत वैध है।

9. मुख्य सिद्धान्त (Key Takeaways)

पूरकता का सिद्धान्त: धारा 172 MPLRC और धारा 339-C अधिनियम 1961 एक-दूसरे के पूरक हैं, विरोधी नहीं।

दोहरे उपचार: एक ही भूमि पर दोनों प्रावधानों के अन्तर्गत पृथक-पृथक कार्यवाही हो सकती है — एक भूमि उपयोग के लिये, दूसरी नगरीय विकास के लिये।

उल्लेख बनाम दण्ड: SDO द्वारा अपने आदेश में 339-C का केवल उल्लेख करना क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण नहीं है; किन्तु उसके अन्तर्गत स्वयं दण्ड लगाना या FIR कराना अतिक्रमण होगा।

कृषि उपयोग बनाम प्लॉट विक्रय: भूमि पर कृषि होना और बिना डायवर्जन प्लॉट काटकर बेचना — दोनों में अन्तर है। यह तथ्य का प्रश्न है जो अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष साक्ष्य द्वारा स्थापित किया जाना चाहिये।

अभियोजन का अधिकार: धारा 339-C के अन्तर्गत अभियोजन धारा 313 की प्रक्रिया से नगरपालिका परिषद/CMO द्वारा किया जाएगा, SDO द्वारा नहीं।

10. म.प्र. भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2018 — धारा 172 से नई धारा 59 में परिवर्तन

10.1 संशोधन की पृष्ठभूमि

2018 के संशोधन से पूर्व, कृषि भूमि के डायवर्जन (उपयोग परिवर्तन) का सम्पूर्ण प्रावधान धारा 172 MPLRC में था। इस पुरानी व्यवस्था में भूमिस्वामी को डायवर्जन के लिये **पूर्व अनुमति (Prior Permission)** लेना अनिवार्य था। बिना अनुमति के गैर-कृषि उपयोग करने पर SDO धारा 172(5) के अन्तर्गत अर्थदण्ड और धारा 172(6) के अन्तर्गत भूमि को मूल स्थिति में पुनर्स्थापित करने का आदेश दे सकता था।

म.प्र. भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2018 द्वारा विधायिका ने पुरानी धारा 172 को **पूर्णतः निरस्त** कर दिया और उसके स्थान पर **धारा 59 को नये रूप में प्रतिस्थापित (Substituted)** किया। यह केवल धारा का नम्बर बदलना नहीं था, बल्कि डायवर्जन की सम्पूर्ण प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन किया गया।

10.2 पुरानी धारा 172 बनाम नई धारा 59 — तुलनात्मक विश्लेषण

(क) पूर्व अनुमति से सूचना प्रणाली में परिवर्तन

पुरानी व्यवस्था (धारा 172): भूमिस्वामी को कृषि भूमि का गैर-कृषि उपयोग करने से पहले सक्षम प्राधिकारी से **अनुमति** लेनी होती थी। बिना अनुमति के उपयोग परिवर्तन अवैध माना जाता था।

नई व्यवस्था (धारा 59): अब पूर्व अनुमति की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। भूमिस्वामी को केवल SDO को **सूचना (Intimation)** देनी है कि उसने भूमि का उपयोग परिवर्तित किया है। इससे डायवर्जन की प्रक्रिया सरल और शीघ्र हो गई है।

(ख) राजस्व निर्धारण और प्रीमियम

नई धारा 59(1): भू-राजस्व का निर्धारण भूमि के उपयोग के अनुसार निर्धारित दरों पर किया जाएगा — कृषि, आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक आदि के लिये पृथक दरें निर्धारित हैं।

नई धारा 59(2): जब किसी एक उद्देश्य के लिये निर्धारित भूमि को किसी अन्य उद्देश्य में डायवर्ट किया जाता है, तो उस पर नये उद्देश्य के अनुसार भू-राजस्व देय होगा, भले ही पुराने निर्धारण की अवधि समाप्त न हुई हो।

नई धारा 59(3): जो भूमि भू-राजस्व से मुक्त थी (किसी विशेष उद्देश्य हेतु) और उसे अन्य उद्देश्य में डायवर्ट किया जाता है, तो वह भू-राजस्व के भुगतान हेतु दायी हो जाएगी।

(ग) सूचना न देने पर दण्ड — धारा 59(9)

यदि भूमिस्वामी धारा 59(6) के अन्तर्गत डायवर्जन की सूचना देने में विफल रहता है, तो SDO स्वप्रेरणा से या सूचना प्राप्त होने पर प्रीमियम की गणना करेगा, भू-राजस्व का पुनर्निर्धारण करेगा, और कुल देय राशि का **पचास प्रतिशत (50%) अर्धदण्ड** भी लगाएगा। यह पुनर्निर्धारित भू-राजस्व वास्तविक डायवर्जन की तिथि से देय होगा, **अधिकतम पाँच वर्ष** की अवधि तक।

संक्रमणकालीन छूट: 2018 के संशोधन के प्रारम्भ से **एक वर्ष** तक कोई अर्धदण्ड नहीं लगाया जाना था, ताकि लोगों को नई व्यवस्था के अनुकूल होने का अवसर मिले।

(घ) लम्बित कार्यवाहियों का उपशमन — धारा 59(12)

अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रावधान: 2018 के संशोधन से पूर्व बोर्ड या किसी भी राजस्व अधिकारी के समक्ष (पुरानी) धारा 172 के अन्तर्गत जो भी कार्यवाहियाँ लम्बित थीं, वे सब **स्वतः उपशमित (Abated)** हो गईं। इसके स्थान पर SDO को नई धारा 59 के अनुसार प्रीमियम और भू-राजस्व का निर्धारण करना था।

इसका अर्थ यह है कि यदि पुरानी धारा 172 के अन्तर्गत कोई अर्धदण्ड या भूमि पुनर्स्थापन की कार्यवाही लम्बित थी और अन्तिम आदेश नहीं हुआ था, तो वह कार्यवाही समाप्त हो गई और नई धारा 59 के अनुसार कार्यवाही प्रारम्भ करनी होगी।

(ङ) SDO की शक्तियों का पुनर्निर्धारण

2018 के संशोधन ने SDO की शक्तियों को स्पष्ट रूप से पुनर्परिभाषित किया। अब SDO को **धारा 59, 115, 170, 170A, 170B, 234, 241, 242, 248(2-A) और 253** के अन्तर्गत कार्यवाही का स्पष्ट अधिकार है। डायवर्जन से संबंधित SDO की समस्त शक्तियाँ अब धारा 59 में केन्द्रित हैं।

10.3 Judgements पर इस संशोधन का प्रभाव

इस दस्तावेज़ में सन्दर्भित निर्णयों को इस संशोधन के परिप्रेक्ष्य में समझना आवश्यक है:

पूर्व-2018 के प्रकरण (जैसे W.P. 7945/2016, W.P. 904/2017, W.P. 3982/2017): इन प्रकरणों में मूल कार्यवाही पुरानी धारा 172 के अन्तर्गत हुई थी, इसलिये निर्णयों में "धारा 172" का संदर्भ है। ये निर्णय उस समय की विधिक स्थिति के अनुसार सही हैं।

2018 के पश्चात् के प्रकरण (जैसे W.P. 2080/2026): इस प्रकरण में भी "धारा 172" का उल्लेख इसलिये है क्योंकि मूल कार्यवाही (SDO का आदेश दिनांक 22.09.2018 और कलेक्टर का आदेश दिनांक 26.09.2018) 2018 के संशोधन के लागू होने के आसपास की है, और न्यायालय ने पूर्व के स्थापित निर्णयों का अनुसरण किया।

आज की स्थिति (2026 में): यदि कोई नया प्रकरण उत्पन्न होता है तो SDO अब **नई धारा 59 MPLRC** के अन्तर्गत कार्यवाही करेगा। किन्तु उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित **मूल सिद्धान्त अपरिवर्तित** रहता है — अर्थात् धारा 59 MPLRC (पूर्व में 172) और धारा 339-C नगरपालिका अधिनियम, 1961 परस्पर पूरक हैं, विरोधी नहीं। SDO अपनी धारा 59 की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, किन्तु धारा 339-C के अन्तर्गत स्वयं FIR दर्ज कराने या दण्ड लगाने का अधिकार उसे अब भी नहीं है।

10.4 व्यावहारिक निष्कर्ष

आज के दिन किसी SDO को निम्नलिखित बातें ध्यान रखनी चाहिये:

प्रथम: डायवर्जन की कार्यवाही अब धारा 59 MPLRC के अन्तर्गत होगी, न कि धारा 172 के अन्तर्गत। यदि कोई आदेश अब भी "धारा 172" का उल्लेख करता है तो वह तकनीकी रूप से दोषपूर्ण हो सकता है।

द्वितीयः नई धारा 59 में "अनुमति" के स्थान पर "सूचना" की प्रणाली होने से SDO की भूमिका में परिवर्तन आया है — अब वह अनुमतिदाता नहीं, बल्कि प्रीमियम और भू-राजस्व निर्धारणकर्ता है, और सूचना न देने पर दण्डकर्ता है।

तृतीयः धारा 339-C के संबंध में SDO की सीमा रेखा वही है जो पहले थी — SDO अवैध कॉलोनाइज़ेशन के तथ्य को कलेक्टर या नगरपालिका के संज्ञान में ला सकता है, किन्तु स्वयं FIR दर्ज नहीं करा सकता।

चतुर्थः 2013 के संशोधन (नियम 2(h)) के पश्चात् कलेक्टर भी "सक्षम प्राधिकारी" है, और 2018 के MPLRC संशोधन ने इस स्थिति को और सुदृढ़ किया है।

सन्दर्भनिर्णयः W.P. No. 7945/2016 (17.07.2017); W.P. No. 904/2017; W.P. No. 3401/2017; W.P. No. 3982/2017; W.P. No. 2080/2026; Laxmandass Krishnani v. Municipal Council, Guna [2018 (1) MPLJ 127]; Vishawveer v. State of M.P. (MCRC No. 599/2013); Dilmeet Singh Bal v. State of M.P. (W.A. No. 644/2025)

विधायी सन्दर्भः म.प्र. भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2018; म.प्र. नगरपालिका (कॉलोनाइज़र पंजीकरण, शर्तें एवं निबंधन) नियम, 1998 — संशोधन दिनांक 22.04.2013

Dr. Purushottam Meghwal

**Bhugyan Consultancy Services, R6, E6 Arera Colony Near Sai Board
(12 No. Bus Stop) Bhopal, MP 462016 : 9425416811, 9009386291**

© 2024 Bhugyan Consultancy Services, Bhopal. All Rights Reserved.
Unauthorized use of the content on this website is prohibited